न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :—4 / 2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01. भानाराम पुत्र श्री मगाराम 02. मोहनराम पुत्र श्री मगाराम 03. शीवाराम पुत्र श्री मगाराम 04. लिच्छादेवी पुत्री श्री मगाराम 05. सुखीदेवी पुत्री श्री मगाराम 06. श्यामादेवी पुत्री श्री मगाराम 07. भंवराराम पुत्र श्री गोबरराम 08. कालूराम पुत्र श्री गोबरराम 09. मदनलाल पुत्र श्री गोबरराम 10. पप्पाराम पुत्र श्री हरचन्द 11. बाबूराम पुत्र श्री हरचन्द 12. स्वरूपराम पुत्र श्री हरचन्द 13. चेनाराम पुत्र श्री हरचन्द 14. सुरजाराम पुत्र श्री हरचन्द 15. तुलसीदेवी पत्नि श्री हरचन्द 16. स्व0 भीकाराम पुत्र श्री भूराराम के वारिसानः— 16/1 पुखाराम पुत्र स्व0 भीकाराम 16/2 हीराराम पुत्र स्व0 भीकाराम 16/3 ओमाराम पुत्र स्व0 भीकाराम 16/4 श्रवणराम पुत्र स्व0 भीकाराम 06/5 स्व हेमाराम पुत्र स्व0 भीकाराम के वारिसान— 16/5/1 राधादेवी पत्नि श्री हेमाराम 16/5/2 बगताराम पुत्र श्री हेमाराम 16/5/3 बुद्धाराम पुत्र श्री हेमाराम 16/5/4 रमेश पुत्र श्री हेमाराम जातियान मेघवाल, निवासीगण मेघवालों की ढ़ाणी, ग्राम खाराबेरा पुरोहितान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 17. रावलराम पुत्र श्री खींयाराम, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम झालामण्ड, तहसील व जिला जोधपुर ।		01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी ।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

उपस्थिति –

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।
2. अप्रार्थी की तरफ से राजकीय अभिभाषक ।

आदेश

दिनांक - 6/6/2022

पत्रावली में बहस सुनी गयी । संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम खाराबेरा पुरोहितान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में खसरा संख्या 444 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा व खसरा संख्या 444/1 रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा आयी हुई स्थित हैं जिसे आगे इस प्रार्थना पत्र में यथाआवश्यक विवादग्रस्त कृषि भूमियों के नाम से संबोधित की जावेंगी । उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमियां पूर्व में मूल खसरा संख्या 444 कुल रकबा 24 बीघा 09 बिस्वा थी जिसके सहखातेदारान द्वारा आपसी सहमती से बंटवाड़ा किया गया जिस आपसी सहमती बंटवाड़ा के आधार खसरा संख्या 444 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा व खसरा संख्या 444/1 रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा बंटवाड़े के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 560 दर्ज करते हुए खाते अलग अलग किये गये । उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमियों का आपसी सहमती के आधार पर जो अलग अलग बटटा नं0 दर्ज किये गये उसकी राजस्व नक्शें में जो तरमीम दर्ज की गयी हैं वह वास्तविक मौके की स्थिति से भिन्न स्थान पर कर दी गयी जबकि खसरा संख्या 444 व 444/1 की जो मौके की स्थिति हैं उसका नजरी नक्शा इस प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत किया जा रहा हैं जो कि इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग समझा जावेंगा । वास्तव में जो आपसी सहमती से बंटवाड़ा किया गया था वह मौके पर वर्तमान की स्थिति एवं संलग्न नजरी नक्शा अनुसार ही किया गया था जबकि राजस्व नक्शें में जो लाल स्याही से खसरा संख्या 444 व 444/1 की तरमीम दर्ज हैं वह पूर्ण रूप से गलत दर्ज हैं । उक्त गलत रूप से दर्ज तरमीम की दुरूस्ती हेतु खसरा संख्या 444 व 444/1 के खातेदार प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जा रहा हैं । प्रार्थीगण ने आपसी सहमती से किये गये बंटवाड़ें की प्रमाणित नकल लेने का प्रयास किया गया लेकिन उक्त बंटवाड़ा तहसील कार्यालय में उपलबध ही नहीं हैं प्रार्थी द्वारा जो बंटवाड़ा की नकल लेने हेतु आवेदन दिनांक 07.12.2020 को किया गया था उसकी प्रमाणित प्रतिलिपी इस प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत की जा रही हैं । राजस्व नक्शे में गलत रूप से दर्ज तरमीम होने से प्रार्थीगण के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण मौके पर काबिज अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाना चाहते हैं । अंत में निवेदन किया गया कि ग्राम खाराबेरा पुरोहितान, तहसील लूणी के खसरा संख्या 444 व 444/1 की वर्तमान राजस्व नक्शें में दर्ज तरमीम संलग्न नजरी नक्शें अनुसार दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जावें ।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार लूणी से इस प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी । तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट अनुसार राजस्व नक्शें

... अधिकारी,

में दर्ज तरमीम भिन्न हैं एवं मौके अनुसार स्थिति अलग हैं तथा मौके की स्थिति प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार होना जाहिर किया गया ।

बहस सुनी गयी । अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । चूंकी ग्राम खाराबेरा पुरोहितान के खसरा संख्या 444 एवं 444/1 के सभी खातेदारों द्वारा सामूहिक रूप से तरमीम दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शें अनुसार दुरूस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी चूँकि पुश्त व लटटा ट्रेस एवं आनलाइन तरमीम एक समान है इसलिए तरमीम शुद्वि के पर्याप्त राजस्व रेकर्ड एव साक्ष्य के अभाव मे प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 131 भू. राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी